

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

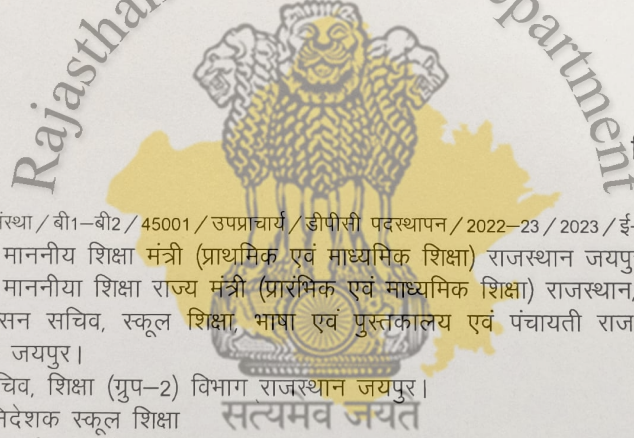
कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था-डीपीसी/प्रभाग-2/उपप्राचार्य/ 2022 - 2023 () दिनांक 21.02.2023 द्वारा राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवानियम 2021 के नियम 31 (ख) के प्राधानान्तर्गत उप प्राचार्य एवं समकक्ष पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 17.02.2023 के द्वारा की गई अनुशंषानुसार प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा के अभ्यर्थियों को उप-प्राचार्य एवं समकक्ष पद (अनुसूची-1) पर पे-मेट्रिक्स लेवल-14 में डीपीसी वर्ष 2022-23 के लिए निम्नांकित कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान असेसमेंट सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चयन संबंधी निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया था।

उक्त कार्मिक के विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त किए जाने के फलस्वरूप इनके चयन संबंधी निर्णय का बन्द लिफाफा खोला जाकर, इनके नाम के सामने कॉलम 10 में अंकित रिक्त तिथि के प्रति, कॉलम 11 में अंकित आदेश दिनांक द्वारा उप-प्राचार्य उमावि एवं समकक्ष (अनुसूची-1) पद पर चयन किया गया :-

क र्ष	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक का मय पद	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	डीपीसी वर्ष	चयन वर्ग	चयन तिथि	बंद लिफाफा खोलने का आदेश दिनांक
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	6121	2015-16	Ramjeevan Choudhary, Lec.-Hindi	26-06-1981	M	-	2022-23	UR	04-08-2022	26-06-2023

उपरोक्त पदोन्नति अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए अपने नाम के सम्मुख अंकित तिथि को अथवा इसके पश्चात् कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नगद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किए जाएंगे।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/बी1-बी2/45001/उपप्राचार्य/डीपीसी पदस्थापन/2022-23/2023/ई-3945

दिनांक 03/07/2023

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु शाला दर्पण से संबंधित प्रविष्टियां अपडेट किये जाने हेतु।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण को आदेश की प्रति प्रेषित कर लेख है कि शाला दर्पण संबंधित प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by सत्यम (कार्मिक)
Designation: Director of Education, Rajasthan
Date: 2023.07.02 10:03:54 IS
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4152188

